न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (एस. सी./एस.टी. प्री. आफ एट्रोसी.ऐक्ट), जौनपुर।
मुकदमा नंबर– 285/2017
सी.एन.आर.नं0–यू.पी.जे.पी. 010055392016
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 2010
रविन्द्र कुमार सोनकर––––––––बनाम––––––––श्रवण कुमार पाल एवं अन्य
––––––

05.03.2020

आज पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुयी। पूर्व तिथि पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली का परिशीलन किया।

परिवादी द्वारा न्यायालय में परिवाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि करीब 20 वर्ष पुर्व ग्रामसभा सड़ेरी की भूमि संख्या–1402/68 डि0 भूमि पर तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी महोदय के आदेश द्वारा खटिक जाति के लोगों को बसाया गया था जिस पर परिवादी के पिता आबाद रहे और उनकी मृत्यु के बाद परिवादी सपरिवार उक्त भूमि पर आबाद चला आ रहा है। उसके गांव के श्रवण कुमार पाल व उनके परिवार वाले परिवादी के उक्त जमीन को हड़पने के प्रयास में वर्षो से लगे हुये है। श्रवण कुमार रिटायर्ड लेखपाल तथा काफी पैसे वाले व प्रभावशाली व्यक्ति है। जिन्होंने फर्जी तरीके से असत्य व झूंठा कथन करते हुये अपने भाई रामलखन के नाम से चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में रामलखन का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर मुकदमा भी किया है जो चल रहा है। घटना दिनांक 23.07.2011 समय करीब 9.00 बजे सुबह की है कि परिवादी के घर पर अभियुक्तगण श्रवण कुमार नापने वाला लाठा लेकर तथा भालेश्वर, महेन्द्र व राजेन्द्र पाल अपने–अपने हाथों में लाठी डण्डा लेकर चढ़ आये तथा परिवादी की उक्त आबादी की जमीन को जिसमें काफी पेड़ लगे है जो परिवादी व उसके पिता द्वारा लगाये गये है, को नापने लगे। परिवादी व उसकी मां लल्ली देवी ने उन्हें रोका व पूंछा कि किसके आदेश से आपलोग नाप कररहे है तो अभियुक्त श्रवण कुमार कहे कि किसी का आदेश नहीं है, जमीन मेरी है मैं नापूंगा और जबरदस्ती नापना शुरू कर दिये। परिवादी के कहनेपर कि वह थाने जा रहा है तो अभियुक्त ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये कहे कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं वहां चढ़ावा चढ़ा कर आया हूं तथा अभियुक्त राजेन्द्र ने उसका हाथ पकड़कर धक्का दे दिया। उसके मां के रोकने पर महेन्द्र व भालेश्वर ने उन्हें धकेल दिया तथा महेन्द्र ने उसकी मां को दो तीन तमाचा मारा। अभियुक्तगण राजेन्द्र व भालेश्वर बोले कि अबे खटिक साले भाग जा नहीं तो अभी सभी को जान से मारकर यहीं दफन कर देगे तथा सभीं अभियुक्तगण आमादा फौजदारी होकर मारने झुके कि हमसब जान बचाकर भागे। उक्त घटना को बन्ने सिंह तथा काफी लोग देखे। यदि परिवादी व उसकी मां वहां से भागे न होते तो उक्त अभियुक्तगण अपने–अपने हाथों में लिये लाठी डण्डे से मार डालते। परिवादी ने उक्त घटना की सूचना थाना बक्शा में दिया परन्तु कोई रपट नहीं लिखी गयी। जबकि अभियुक्तगण परिवादी व उसके परिवार वालों को तरह–तरह से जानमाल की धमकी दे रहे है। उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने पर परिवादी ने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को जरिये पंजीकृत डाक से घटना के सम्बन्ध में सूचना दिया परन्तु अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुयी। अतः अभियुक्तगण को समस्त धाराओं में जांचकर तलब करके दण्डित करने की कृपा की जाय। परिवादी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 जाप्ता फौजदारी में परिवाद पत्र के कुछ तथ्यों को समर्थित करते हुये बयान दिया है। उसके द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी पी0 डब्लू0–1 रामचरन उर्फ शुत्तुल, पी0 डब्लू0–2 रामतीरथ निषाद ने अपने–अपने बयान अंतर्गत धारा 202 जाप्ता फौजदारी में परिवादी के बयान को समर्थित करते हुये बयान दिया है। परिवादी द्वारा घटना के

सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जौनपुर को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अन्य प्रपत्र प्रस्तुत की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक परिशीलन से प्रथमदृष्टया अभियुक्तगण श्रवण कुमार पाल, महेन्द्र पाल, राजेन्द्र पाल एवं भालेश्वर के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506 आई0 पी0 सी0 एवं 3 (1) 10 एस.सी./एस.टी.ऐक्ट सपठित धारा 34 आई0 पी0 सी0 का अपराध बनना पाया जाता है। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में गवाहान की सूची अंकित की गयी है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त अभियुक्तगण उपरोक्त धाराओं में विचारण हेतु बजरिये सम्मन आहूत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण श्रवण कुमार पाल, महेन्द्र पाल, राजेन्द्र पाल एवं भालेश्वर को अपराध अंतर्गत धारा 323/34, 504, 506 आई0 पी0 सी0 एवं 3 (1) 10 एस.सी./एस.टी.ऐक्ट सपठित धारा 34 आई0 पी0 सी0 में विचारण हेतु बजरिये सम्मन दिनांक–28.05.2020 के लिए आहूत किया जाता है। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में गवाहान सूची प्रस्तुत की गयी है। परिवादी द्वारा अन्दर सप्ताह पैरवी की जाय। पत्रावली नियत तिथि 28.05.2020 को अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश एस. सी./एस.टी.
प्री. आफ एट्रोसी.ऐक्ट) जौनपुर।